राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 47/2021

दायर दिनांक– 23.7.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. सीता देवी पत्नि रामलाल जाति बलाई निवासी त्योद तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

....वादिया

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र छगनलाल जाति बलाई
2. देवकरण पुत्र छगनलाल जाति बलाई
3. भैरूलाल पुत्र कल्याण जाति बलाई
4. बिरदीचन्द पुत्र कल्याण जाति बलाई
5. कानाराम पुत्र कल्याण जाति बलाई
   सर्वनिवासी नरेना तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़
7. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़

...प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0का0अधि0 1955

निर्णय

दिनांक 22.8.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिया की संयुक्त कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम नरेना पटवार हल्का जूणदा भू–अ0नि0 क्षेत्र भदूण तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 74 के ख0न0 574 रकबा 7 बिस्वा, ख0न0 575 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 2 में से वादिया का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का राजस्व रिकार्ड अनुसार अर्न्तनिहित दर्ज है, वादिया का 1/5 हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्त करती आ रही है। प्रतिवादीगण वादिया से द्वेषता रखते है व वादिया को उसके हिस्से में काश्त करने में बाधा डालते है। दिनांक 05.07.2021 को जब वादिया उसके हिस्सा अनुसार काश्त करने गये तो प्रतिवादीगण ने वादिया के काश्त में बाधा डाली और कहा कि तू औरत है तूझे काश्त करने नहीं देंगे इस कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ इसलिए बंटवारा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का बंटवारा न होने से व दिनांक 05.07.2021 को प्रतिवादीगण ने वादिया को उसके हक हिस्से अनुसार काश्त करने में बाधा डाली इस कारण से वाद कारण उत्पन्न हुआ व दिन–प्रतिदिन जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया, जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 लगायत 5 स्वयं उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम नरेना की वर्तमान जमावंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 74 में ख0न0 574 रकबा 0–07 बीघा, ख0न0 575 रकबा 12–13 बीघा में वादिया सीता देवी पत्नि रामलाल जाति बलाई निवासी ग्राम त्योद का 1/5 हि0 प्रतिवादी [illegible] हि0 1/5 प्रतिवादी संख्या 2 देवकरण पुत्र छगनलाल हि0 1/10 प्रतिवादी संख्या [illegible] पुत्र कल्याण हि0 1/6 प्रतिवादी संख्या 4 बिरदीचन्द पुत्र कल्याण [illegible] कानाराम पुत्र कल्याण हि0 1/6 जाति बलाई सा0 देह खातेदार [illegible] पुत्र छगना[illegible] हिस्सा 1/10 बैंक ऑफ बडौदा शाखा सुरसुरा के नाम रिकार्ड में [illegible] कोई राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया गया। प्रकरण [illegible] गई। हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस [illegible] मनन किया। तदनुसार प्र[illegible] प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा कमिश्नरी रिपोर्ट तैयार कर पेश की। कमिश्नरी रिपोर्ट पर वकील वादी की बहस सुनी गयी। तदनुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी कर वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य रिकार्ड में निम्नानुसार अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:26:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

| सं0 | नाम खातेदार | ख0 न0 | रकबा (है0) | किस्म | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सीता देवी पत्नि रामलाल जाति बलाई सा त्योद | 575/1 | 0.4095 | बा0 1<br>चाही2 | 0.0647<br>0.3448 |
| 2 | भंवरलाल पुत्र छगना हि0 2/3 जाति बलाई सा0 देह, देवकरण पुत्र छगना हि0 1/3 जाति बलाई सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हरमाड़ा | 575/2 | 0.6143 | बा0 1<br>चाही 2 | 0.0971<br>0.5172 |
| 3 | भैरूलाल , कानाराम, बिरदीचन्द पुत्र कल्याण हि0 पूर्ण जाति बलाई सा0देह खातेदार राहिन भैरूलाल हि0 1/4, बिरदीचन्द हि0 1/4 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हरमाड़ा | 575/3 | 1.0239 | बा01<br>चाही 2 | 0.1619<br>0.8620 |
| 4 | कानाराम पुत्र कल्याण हि0 1/6 जाति बलाई सा0 देह खातेदार, देवकरण पुत्र छगना हि0 1/10 जाति बलाई सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हरमाड़ा, बिरदीचन्द पुत्र कल्याण हि0 1/6 जाति बलाई सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/8 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हरमाड़ा, भैरूलाल पुत्र कल्याण हि0 1/6 जाति बलाई सा0 खातेदार राहिन हि0 1/8 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हरमाड़ा, भंवरलाल पुत्र छगना हि0 1/5 जाति बलाई सा0 देह खातेदार, सीता देवी पत्नि रामलाल हि0 1/5 जाति बलाई सा0 त्योद खातेदार | 574 | 0.0567 | गै0 मु0 चाह | |

कमिश्नरी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिक्री का भाग होगा।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:26:10 IST
Reason: SelfAttested